

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 969 / 2012 / जयपुर
2. अपील संख्या – 970 / 2012 / जयपुर
3. अपील संख्या – 971 / 2012 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-जी, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स चिक चॉकलेट बेकर्स एण्ड फास्ट फूड्स,  
रतन मेशन, ऑल इण्डिया रेडियों स्टेशन के सामने,  
एम.आई. रोड, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,  
उप-राजकीय अभिभाषक।  
श्री एस.के.जैन, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01.05.2017

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30, 58, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जी, जयपुर (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2010 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिनके विरुद्ध यह अपीलें पेश की गई हैं, उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अ. सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अ.अ. का आ.दि.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वित्तीय वर्ष	शास्ति
969 / 12	313 / आरवेट	24.10.11	22.10.10	05-06	1,69,240
970 / 12	314 / आरवेट	24.10.11	22.10.10	06-07	5,93,644
971 / 12	315 / आरवेट	24.10.11	22.10.10	07-08	94,452

2. इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी का विवादित वर्षों का कर निर्धारण आदेश "शून्य मांग" का पारित किया गया था। व्यवहारी का वर्ष 2005-06 का अधिनियम की धारा 30 के तहत एवं वर्ष 2007-08 का धारा 26 के तहत पुनः कर निर्धारण करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि उसके द्वारा विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं एवं कर राशि भी समय पर जमा नहीं करवाई गई है, अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30, 58, 61 व 65 के तहत आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को



लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकारते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 तथा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 65 (वर्ष 2005-06 हेतु) के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त करने में विधिकीय भूल की है, क्योंकि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर पाया गया था कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का बिक्री विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे करापवंचना का स्पष्ट मनोभाव सिद्ध होता है अथवा उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2007) 8 वैट रिपोर्टर पार्ट 4 पेज 87 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम सीटीओ का उल्लेख करते हुए व्यवहारी पर आरोपित शास्तियों को बहाल करने का निवेदन किया एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी का आलौच्य अवधियों का कर निर्धारण आदेश शून्य मांग का पारित किया गया। इस कर निर्धारण आदेश का न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ था, न ही कर निर्धारण आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। सशक्त अधिकारी द्वारा स्वयं ही शून्य मांग में आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 के तहत खोला गया, प्रत्यर्थी द्वारा घोषित बिक्री स्वीकार की गई व प्रत्यर्थी द्वारा उक्त बिक्री के संबंध में एसटी 5ए एवं ट्रेडिंग अकाउण्ट सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था, जिसे कर निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया। पुनः कथन किया कि धारा 61/65 के तहत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित करना अविधिक है, क्योंकि प्रथम तो सशक्त अधिकारी द्वारा कोई करापवंचन सिद्ध नहीं किया गया व दूसरा प्रत्यर्थी द्वारा घोषित बिक्री को ही कर निर्धारण हेतु स्वीकार कर लिया गया। ऐसी स्थिति में बिना करापवंचन सिद्ध किये धारा 61/65 में शास्ति आरोपित करना अविधिक है। अतः उन्होंने व्यवहारी पर आरोपित शास्तियां अन्तर्गत धारा 61 को अपास्त करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अलोच्य अवधि में विहित विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर निम्न प्रावधान अधिनियम में विहित है :-

**"58 Penalty for failure to furnish return - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty."**

"(i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other case, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand for the period during which the default in furnishing of such return continues."


एवं करवंचना हेतु धारा 61 निम्नानुसार है :

**“61. Penalty for avoidance or evasion of tax – (1)** Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal two times of the amount of tax avoidable or evaded.”

इसके अलावा कर जमा करवाने का प्रावधान धारा 20 में प्रावधित है, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में भी विवरणियों एवं करवंचना हेतु प्रावधान समान (Pari Materia) है। उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विवरणियां विहित समयावधि में विभाग के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं की थी अतः धारा 61/65 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया। धारा 61/65 के तहत शास्ति गलत तथ्य प्रस्तुत करने, विवरणियों में असत्य विवरण प्रस्तुत करने, बहियात से संव्यवहार छुपाने इत्यादि द्वारा करवंचना/कर परिवर्जन करने पर ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। विवरणियां विहित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती है एवं कर विलम्ब से जमा करने पर ब्याज का आरोपण किया जा सकता है। जब व्यवहारी द्वारा पश्चातवर्ती समयावधि में प्रस्तुत विवरणियों एवं बहियात द्वारा प्रस्तुत बिक्री स्वीकार कर ली गई तो करवंचना का प्रश्न ही नहीं है विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा भिन्न है अतः यहां पर लागू किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं।

अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार अपीलीय अधिकारी का अपीलीय आदेश में करवंचना हेतु पारित शास्ति को अपास्त करने के सम्बन्ध में पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। तदनुरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.10.2011 की पुष्टि की जाती है एवं विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
1.5.2012  
(मदन लाल)  
सदस्य